

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-10
संख्या- 274 / आठ-10-16-3गठन/2008
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

48

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-721/9-आ-5-95-68डी.ए./83, दिनांक 03 मई, 1995 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा में सहारनपुर तहसील के राजस्व ग्रामों की निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

103.	चककटोती	104.	शंकलापुरी
105.	शाहपुर कदीम	106.	चकबदुल्ला सुल्तान
107.	सरखडी शेख	108.	वाजिदपुर मजरा सरखडी शेख
109.	घाटका	110.	सम्भालका जुनारदार
111.	सलेमपुर गाडा	112.	सम्भालकी शेख
113.	मोहिउद्दीनपुर	114.	गोंगल हेडी अहतमाल
115.	उग्राहू मुस्तहकम	116.	रसूलपुर पापडकी
117.	जमापुरबेरी मुस्तहकम	118.	जमापुरबेरी अहतमाल
119.	बहेडकी अहतमाल	120.	बहेडकी मुस्तहकम
121.	घोघरेकी अहतमाल	122.	बेरीतगा अहतमाल
123.	बेरीतगा मुस्तहकम	124.	चक बेरीतगा
125.	हसनपुर भलरवा अहतमाल	126.	हसनपुर भलरवा मुस्तहकम
127.	कपासा मुस्तहकम	128.	मुबारकपुर
129.	फिरोजपुर अहतमाल	130.	नन्दी अहतमाल
131.	मल्हीपुर	132.	जन्धेडी
133.	रसूलपुर	134.	फतेहपुर गुज्जर
135.	मोहनपुर गाडा	136.	मनानी
137.	तुगलकपुर	138.	छपरेडी
139.	चान्दनपुर	140.	काकरकुई
141.	काकराला	142.	रतनाखेडी
143.	थरौली	144.	कृष्णी

आज्ञा से,

(पनधारी यादव)

सचिव।

2